म0प्र0 राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
26,अरेरा हिल्स किसान भवन, भोपाल

क्रमांक–बी–1/3/द/अपील/67/45 भोपाल, दिनांक– 07/03/05

आदेश

म.प्र. कृषि उपज मण्डी अधिनियम,1972 की धारा 81–क में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड की 96वी बैठक दिनांक 24.6.2004 के प्रस्ताव क्रमांक–छ: में लिए गए निर्णय के परिपालन में, "राज्य मण्डी बोर्ड सेवा विनियम, 1998" के विनियम 38 (दो) के पश्चात् विनियम 38 (तीन) में आदेश के विरूद्ध पुनर्विलोकन का अधिकार निम्नानुसार प्रतिस्थापित किया जाता है :–

(1) राज्य मण्डी बोर्ड सेवा केसदस्य द्वारा विनियम 30 में विनिर्दिष्ट किये गये किसी भी शास्ति अधिरोपित वाले आदेश, के विरूद्ध ऐसे आदेश की प्राप्ति की तारीख से छ: माह के अन्दर अनुसूची–9 में वर्णित सक्षम, अपीलीय प्राधिकारी से अगले उच्च अधिकारी को, पुनर्विलोकन हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जा सकेगा।

पुनर्विलोकनकर्ता अधिकारी किसी भी समय या तो स्वप्रेरणा से अथवा इस हेतु उसे आवेदन प्रस्तुत होने पर, प्रकरण से संबंधित जांच अभिलेखों को मंगा सकेगा ओर ऐसे किसी भी आदेश का जिसके विरूद्ध अपील अनुज्ञात है, किन्तु कोई अपील नही की गई हो, या जिसके विरूद्ध कोई अपील अनुज्ञात ना हो पुनर्विलोकन कर सकेगा और–

(क) आदेश की पुष्टि कर सकेगा, उसे रूपभेदित कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा,

या

(ख) उस आदेश द्वारा अधिरोपित की गई शास्ति की पुष्टि कर सकेगा, उसमें कमी कर सकेगा, या उसमें वृद्धि कर सकेगा या उसे अपास्त कर सकेगा, या जहां कोई शास्ति अधिरोपित नही की गई हो, वहाँ कोई भी शास्ति अधिरोपित कर सकेगा,

या

(ग) मामले को, उस प्राधिकारी की ओर, जिसने कि वह आदेश दिया हो, या किसी अन्य प्राधिकारी की ओर ऐसे प्राधिकारी को ऐसी और जांच, जैसी की वह मामले की परिस्थितियों में आवश्यक समझे, करने के निर्देश देते हुए भेज सकेगा,

या

(घ) ऐसे अन्य आदेश पारित कर सकेगा, जिसे कि वह उचित समझे:– परन्तु किसी शास्ति को अधिरोपित करने वाला, या बढ़ाने वाला कोई भी आदेश, पुनर्विलोकन करने वाले किसी भी, प्राधिकारी द्वारा तब तक नही दिया जायेगा जब तक कि बोर्ड सेवा के संबंधित सदस्य को, प्रस्तावित की गई शास्ति के विरूद्ध अभ्यावेदन करने का, युक्तियुक्त अवसर न दे दिया गया हो।

(2) पुनर्विलोकन के लिए कोई भी कार्यवाही तब तक नही की जावेगा जब तक कि –

(एक) अपील के लिए अवधि काल समाप्त न हो जाए,

या

(दो) जहां ऐसी अपील प्रस्तुत कर दी गई है, वहां उसका निपटारा न हो जाए।

या

(3) पुनर्विलोकन के आवेदन पत्र पर उसी रीति में कार्यवाही की जायेगी, मानो कि वह, इन नियमों के अधीन अपील हो।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

7/3/05

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल

कमांक–बी–1/3/द/अपील/67/46
भोपाल, दिनांक–07/03/05

प्रतिलिपि–सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. निज सचिव, माननीय अध्यक्ष, म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, भोपाल।
2. निज सहायक, प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
3. अपर संचालक/संयुक्त संचालक/उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
4. उप संचालक (भण्डार) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल। सेवा विनियम में संशोधन हेतु।
5. उप संचालक (समस्त) म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आचंलिक कार्यालय..................
6. सचिव, कृषि उपज मंडी समिति..................................जिला...........................
7. सहायक संचालक/अनुभाग अधिकारी (समस्त) म.प्र.राज्य कृषि विपणन बोर्ड, मुख्यालय भोपाल।
8. सूचना पटल
9. आदेश नस्ती।

7/3/05

प्रबंध संचालक
म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड,
भोपाल